न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/192

मूर्ति मंदिर श्रीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान रोंण तहसील पीपल्दा जिला कोटा जरिये पुजारी जगदीश पुत्र गोरधन जाति बैरागी निवासी रोंण तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कस्तूर चन्द मीना आत्मज श्री किशन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रोंण तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोन्ड्न्ट

उपस्थित :– 1. श्री नन्दसिंह राजावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 04.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता किशनलाल पुत्र भवाना के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर 78/101 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 78/102 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर खातेदारी सनद नम्बर 1327 दिनांक 26.10.1977 को प्राप्त हो चुकी है । प्रार्थी के पिता की

मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थी के पिता किशन लाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी स्व0 किशनलाल जी का एकमा. विधिक वारिस है । बाद सेटलमेंट प्रार्थी की आराजी गत हाल नक्शा मौका अनुसार प्रतिवादी कम 02 के खाते में दर्ज हो गयी है । विवादित आराजी मौके पर मौजूद है प्रार्थी पूर्व सेटलमेंट अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी कम 02 मंदिर श्रीनाथ जी के खातेदारी व कब्जा काश्त में पूर्व सेटलमेंट वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील पीपलदा जिला कोटा में पूर्व सेटलमेंट गत खसरा नम्बर 76 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 1.25 हैक्टर कायम किये गये । पूर्व सेटलमेंट अप्रार्थी कम 02 का रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा था अर्थात् जो कि 0.95 हैक्टर होने के बाद सेटलमेंट, सेटलमेंट द्वारा रकबा बढा कर 1.25 हैक्टर दर्ज कर दिया है । इस प्रकार अप्रार्थी कम 02 का रकबा सेटलमेंट द्वारा गत रकबे की तुलना में 0.30 हैक्टर बढा दिया । विवादित आराजी पूर्व सेटलमेंट गत खसरा नम्बर 78/101 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 78/102 रकबा 10 बिस्वा कुल 01 बीघा भूमि प्रार्थी के खाते की आराजी है किन्तु अप्रार्थी कम 01 द्वारा सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान बाद सेटलमेंट कोई मिलान क्षेत्रफल व रकबा कायम नहीं करके प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थी कम 02 के खाते हाल खसरा नम्बर 190 में रकबा बढा कर दर्ज कर दिया । सेटलमेंट को प्रार्थी की आराजी को अप्रार्थी कम 02 के खाते में रकबा बढा कर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह सेटलमेंट की त्रुटि को दुरूस्त करवाये तथा अप्रार्थी कम 02 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 0.16 हैक्टर भूमि को अपेन खाते दर्ज करवाये । सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी का रकबा कम दर्ज करते हुए अप्रार्थी कम 02 के खाते में रकबा बढा कर दर्ज कर दिया है तथा अप्रार्थी कम 01 से प्रार्थी के द्वारा कई बार निवेदन करने पर भी रकबा दुरूस्त नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी कम 01 के खाते दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थी कम 01 विवादित आराजी को हस्तान्तरित करने, खुर्द–बुर्द करने तथा प्रार्थी को बेदखल आदि करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि सेटलमेंट द्वारा कमी किये गये रकबे जो कि अप्रार्थी कम 02 के खाते दर्ज हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 1.25 हैक्टर से की जाकर रकबा 0.16 हैक्टर दक्षिण दिशा भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व महाजमत नहीं करे । विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान किसी प्रकार से हस्तान्तरित आवंटित नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.10.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 02 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि 0.16 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट

के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा पक्षकार मुझ अधिवक्ता से फाईल ले जा चुका है इसलिए मैं पैरवी करने में असमर्थ हूँ । अतः विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का से कब्जे की रिपोर्ट तल की गई । दिनांक 22.06.2021 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 190 का रकबा रिकॉर्ड में 1.25 हैक्टर है किन्तु मौके पर भूमि 1.00 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 190 की 1.00 हैक्टर भूमि के दक्षिणी ओर की भूमि पर कस्तूर चन्द का कब्जा चला आ रहा है । कस्तूर चन्द की किसी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कस्तूर चन्द का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 190 की रकबा 1.25 हैक्टर की दक्षिण दिशा के कस्तूर चन्द के कब्जे 0.16 हैक्टर भूमि में मदाखलत व मजाहमत नहीं करने का आदेश पारित किया है । अपील के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार रेस्पोडेन्ट उक्त स्थगन आदेश की आड में अपीलान्ट को अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल नक्शा ग्राम कंवरपुरा, फोटो प्रति नक्शा आंशिक ग्राम कंवरपुरा, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 नया खाता संख्या 44, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कंवरपुरा, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम कवंरपुरा खाता संख्या 41, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न हैं ।

10. अप्रार्थी कस्तूरचन्द के कथनानुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान मिलान क्षेत्रफल तैयार करते समय उसके खातेदारी में दर्ज भू–प्रबन्ध से पूर्व के खसरा नम्बर 78/101 रकबा 10 बिस्वा व 78/102 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा के नवीन खसरा नम्बर व रकबा कायम नहीं किया गया तथा उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के रकबे को मंदिर की भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 190 रकबा 1.25 हैक्टर बने हैं । इस प्रकार मंदिर की भूमि का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.30 हैक्टर अधिक दर्ज कर दिया गया है । उपरोक्तानुसार मंदिर भूमि के बढे हुए रकबे में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि 0.16 हैक्टर शामिल कर दिया है जिसकी पुष्टि संलग्न नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2021 तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 से होती है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार मंदिर की भूमि मौके पर 1.25 हैक्टर न होकर 1.00 हैक्टर भूमि स्थित है

तथा मंदिर की भूमि के दक्षिणी दिशा में मंदिर का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर भूमि के पूर्व के कब्जे में आदिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रार्थी अपीलान्ट ने स्वयं अपील के बिन्दु संख्या 03 में स्वीकार किया है कि मौके पर पूर्व की भांति 1.00 हैक्टर भूमि पर ही काबिज है जबकि रिकॉर्ड में उक्त भूमि का रकबा 1.25 हैक्टर दर्ज किया गया है एवं अप्रार्थी भी पूर्व से अपनी भूमि पर काबिज काश्त है । इस प्रकार पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर अवलोकन करवाया गया है कि मंदिर के खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 190 कुल रकबा 1.25 हैक्टर भूमि पर जमाबन्दी के टिप्पणी के कॉलम में अंकित है कि "नोट नम्बर 01 से दिनांक 29.07.2021 खसरा नम्बर 190 सभी काश्तकार पर स्थगन आदेश श्रीमान् सहायक कलक्टर, कोटा मि0 नं0 30/2021 तहसील आदेश कमांक/राजस्व/2021/1300–01 दिनांक 29.07.2021 से यथास्थिति का आदेश हुआ नोट लगा हुआ है ।" हमने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2021 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार "प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी कम 02 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह न तो स्वयं, न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ग्राम कंवरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 1.25 हैक्टर की दक्षिण दिशा की प्रार्थी के कब्जा रकबा 0.16 हैक्टर में प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें और न ही आराजी अन्यत्र हस्तान्तरण व आवंटन करें तथा प्रार्थी को विवादित आराजी पर से बेदखल नहीं करे ।" हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं । परन्तु उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करते समय खसरा नम्बर 190 की सम्पूर्ण भूमि 1.25 हैक्टर पर स्थगन का नोट अंकन कर दिये जाने से मंदिर के कब्जे काश्त की सम्पूर्ण 1.00 हैक्टर भूमि भी स्थगन आदेश से प्रभावित हो गई है । अतः प्रकरण में अस्पष्टता को दूर करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण का गहनता से परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 की अक्षरशः नियमानुसार पालना कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए निर्णयानुसार ही नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2021 बहाल रखा जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार पीपल्दा को विधिअनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा